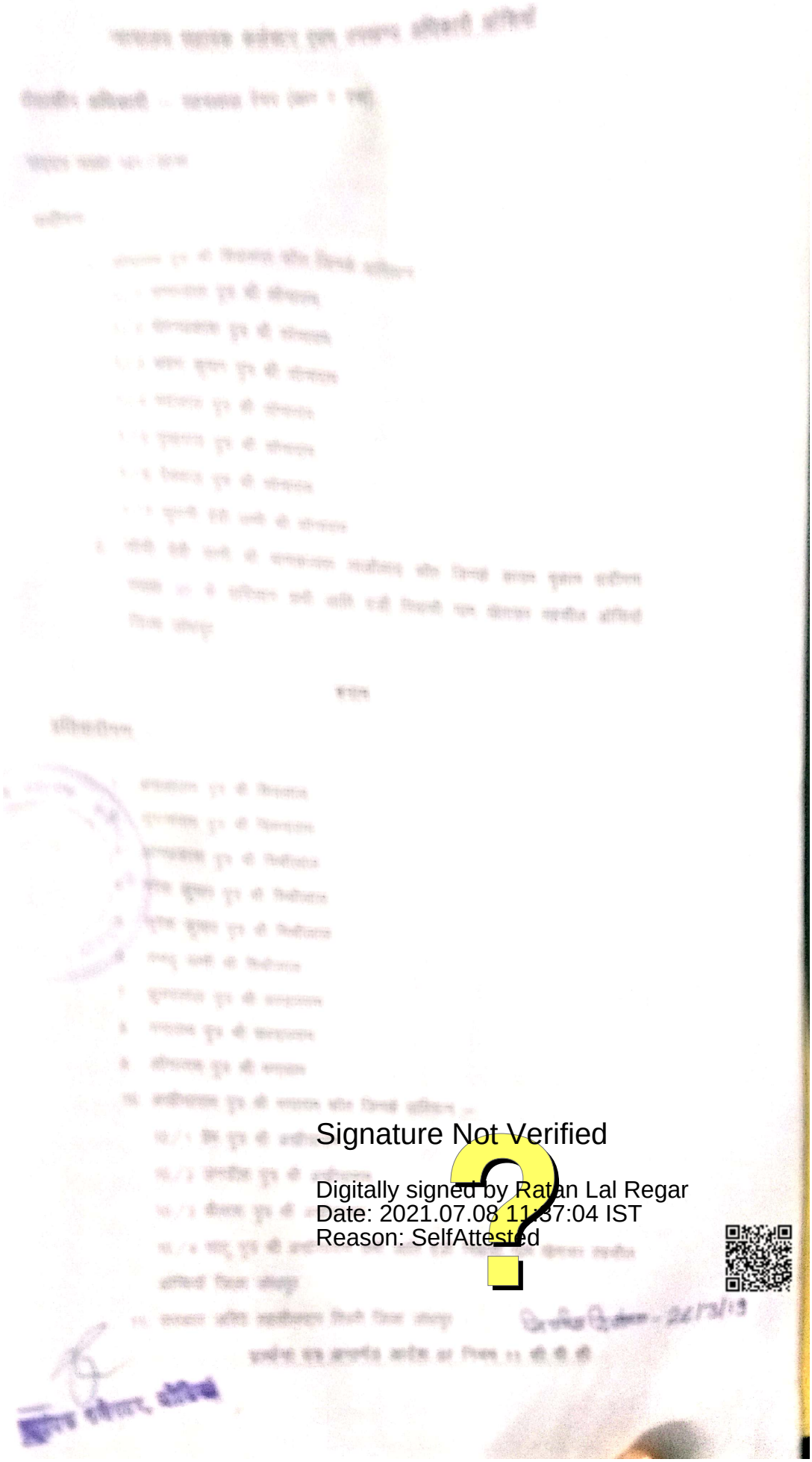

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

[illegible] की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का इस [illegible] किया गया कि वादीगण की ओर से एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 88 188 [illegible] काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया उक्त अनुसान के वादपत्र मे [illegible] संख्या 03 ओमप्रकाश पुत्र श्री मिश्रीलाल का देहान्त दिनॉक 01.02.2011 को [illegible] जिसके अन्तिम संसकार के समय भी वादीगण उपस्थित थे लेकिन बावजूद [illegible] के द्वारा ओमप्रकाश को पक्षकार बनाते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया है वादीगण [illegible] के पत्र के पैरा संख्या 07 मे वादकारण दिनॉक 09.11.2016 को प्रतिवादीगण [illegible] भूमि मे सड़क पर स्थित कीमति उपजाउ भी पर अपने हक हिस्से से अधिक [illegible] कब्जा करने व वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न होना [illegible] प्रकार से प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मे कहा गया कि वादपत्र मे [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 03 के दावा पेश करने से पूर्व ही देहान्त हो चुका था जिस [illegible] वादीगण के द्वारा वादपत्र मे वर्णित वादकारण प्रतिवादीगण के विरूद्व उत्पन्न ही [illegible] हुआ इसलिए वादीगण द्वारा वादपत्र मृत प्रतिवादी के विरूद्व पेश करने से खारिज [illegible] जावे।

[illegible] प्रार्थना पत्र का जबाब वादीगण की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 03 के देहान्त की जानकारी वादीगण को नही है क्योंकि वादीगण गॉव [illegible] नही रहते है बाहर रहते है तथा बाहर ही धन्धा व्यवसाय आदि चलते रहते है वादग्रस्त [illegible] भूमि वादीगण की बापौती की सयुक्त खातेदारी की है वादीगण ने दावे के रोज राजस्व [illegible] जमाबन्दी मे दर्ज खातेदारो के अनुसार ही पक्षकार बनाया है अब प्रतिवादीगण ने [illegible] न्यायालय मे प्रतिवादीगण सख्या 03 के फौत होने की सूचना दी है इसलिए वादीगण अलग [illegible] आदेश 01 नियम 10 सी पी सी का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देगे वादीगण एक [illegible] प्रतिवादीगण सख्या 03 के दाह संस्कार मे शामिल नही हुए वादीगण ने केवल [illegible] प्रतिवादीगण सख्या 02 के विरूद्व ही बिनाय दावा पैदा होना नही अंकित किया बल्कि सभी [illegible] प्रतिवादीगण के विरूद्व बिनायदावा पैदा होना लिखा है वादीगण का वादपत्र खातेदारी के [illegible] विभाजन का है इसलिए केवल एक प्रतिवादी के देहान्त से सम्पूर्ण वादपत्र अबेट नही होता [illegible] केवल मृत प्रतिवादी के विरूद्व ही वादपत्र एबेट होता है अन्त मे प्रतिवादीगण का प्रार्थना [illegible] पत्र खारिज करने की ईस्तदुआ चाही ।

उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी सम्बधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।
[illegible] प्रतिवादीगण अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित [illegible] मृत्यु प्रमाण पत्र [illegible] सख्या 03 ओमप्रकाश के मृत्यु [illegible] पत्र का भी [illegible] किया [illegible] दिनांक 01.02.2011 [illegible] विधिनुसार बनाया गया है जिस [illegible] को दोहराते हुए कथन को होना अंकित है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा जबाब मे [illegible] वादीगण के द्वारा उक्त किया कि इस स्तर पर विभाजन कर दावा अबेट नही हो [illegible] मृत प्रतिवादी के विधिक कायम मुकामो को पक्षकार बनाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर देगे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया सम्बधित विधि का अवलोकन किया गया ।

आदेश 07 नियम 11 वादपत्र का नामजूर किया जाना :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जहाँ वाद हेतु प्रकट नही होता

ख जहाँ दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

ग जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने मे असफल रहता है

घ जहाँ वादपत्र के कथन से यह प्रतित होता है कि वादपत्र किसी विधि द्वारा वर्जित है।

उक्त विधिनुसार वादीगण द्वारा वादपत्र के पद सख्या 07 में वादकारण दिनॉक 09.11.2016 को प्रतिवादीगण के विरूद्व उत्पन्न होना बताया है जबकि वादीगण द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र मे सभी प्रतिवादीगण के विरूद्व वादपत्र उत्पन्न होना अंकित किया है इस दशा में जब प्रतिवादीगण सख्या 03 का वादपत्र मे वर्णित वादकारण से पूर्व ही देहान्त हो चुका था तो वादीगण द्वारा बताया गया वादकारण प्रतिवादीगण के विरूद्व उत्पन्न ही नही हुआ है जो प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सम्बधित विधि से पूर्वतया प्रमाणित हैं इसलिए प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वादपत्र मे वर्णित वादकारण को नही मानते वादीगण का वादपत्र विधिप्रकिया अनुसार अबेट होने से खारिज किया जाता है।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 26/3/19 को हस्ताक्षरित कर सरेआम सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner